न्यायालय–सुधीर सिंह राठौड़ द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, देवसर जिला सिंगरौली (म0प्र0)

MJCR/ 208 /2022

मंगलेश्वर यादव पिता रामफल यादव उम्र 26 वर्ष
निवासी ग्राम खम्हरिया थाना जियावन जिला सिंगरौली (म.प्र.)

............आवेदक / अभियुक्त

बनाम

म0प्र0 शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र जियावन
जिला सिंगरौली (म0प्र0)

.............अनावेदक / अभियोगी

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

:::::: **प्रतिलिपि आदेश दिनॉक 13.10.2022** ::::::::

राज्य द्वारा अपर लोक अभियोजक श्री मारकण्डेयमणि त्रिपाठी उपस्थित।

आरोपी मंगलेश्वर यादव जिला जेल सीधी में निरूद्ध है।

प्रकरण अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र धारा 54 द.प्र.सं., के तर्क हेतु नियत है।

उक्त आवेदन पत्र पर अभियुक्त की ओर से उसके अधिवक्ता श्री संतराम बैस को सुना गया।

अभियुक्त मंगलेश्वर यादव का आवेदन पत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि अभियुक्त मंगलेश्वर यादव जिला जेल सीधी में विगत दो वर्षों से निरूद्ध है। विगत कुछ समय से अभियुक्त के एक नेत्र में दृष्टि समस्या उत्पन्न हो गई है जिसके कारण अभियुक्त को एक नेत्र से देखने में असमर्थता हो रही है। जिला जेल सीधी के चिकित्सकों द्वारा नेत्र परीक्षण किए जाने पश्चात् समस्या गंभीर होने के कारण अभियुक्त को उसके नेत्र के ईलाज के लिए चित्रकूट भेजे जाने हेतु सुझाव दिया गया है। अतः अभियुक्त को नेत्र के ईलाज के लिए चित्रकूट भेजने हेतु जिला जेल प्रशासन सीधी को आदेशित किए जाने हेतु निवेदन किया।

अपर लोक अभियोजक ने उक्त आवेदन का मौखिक विरोध किया। उभयपक्ष को सुना गया।

प्रकरण का अवलोकन किया गया। अभियुक्त मंगलेश्वर यादव के विरूद्ध अंतर्गत धारा 294, 148, 307 / 149(सात काउण्ट), 302 / 149(दो काउण्ट), 506 भाग 2 (सात काउण्ट) भा.द.सं.,1860 के अपराध का आरोप है। आरोपी की ओर से उसके नेत्र के ईलाज के लिए चित्रकूट भेजे जाने के लिए जिला जेल सीधी के चिकित्सको द्वारा सुझाव दिया गया है अतः आरोपी मंगलेश्वर यादव को उसके नेत्र के ईलाज के लिए चित्रकूट संबंध में जो कारण दर्शित किया गया है वह उचित प्रतीत होता है। जिला जेल सीधी को पत्र जारी आरोपी मंगलेश्वर को उसके नेत्र के ईलाज हेतु समुचित ईलाज उपलब्ध कराए जाने के संबंध में निर्देशित किया जावे एवं उक्त पत्र में आरोपी के साथ पूर्व से समुचित पुलिस बल उपलब्ध कराए जाने हेतु टीप लगाई जावे।

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

आदेश की एक प्रति प्रकरण में संलग्न किया जावे तथा प्रकरण का नतीजा पंजी में कर प्रकरण दाखिल अभिलेखागार हो।

सही / –
(सुधीर सिंह राठौड़)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
देवसर, जिला सिंगरौली(म0प्र0)।

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)
सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)